राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.10(28)न्याय/2002/पार्ट 5 **जयपुर, दिनांक** 09 DEC 2022

::प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति::

CSS योजना Development of Infrastructure for the Judiciary के अंतर्गत निम्नानुसार SNA Bank Account में राशि हस्तांतरित किए जाने की सहमति दी जाती है:–

(राशि लाखों में)

क.स.	केंद्रांश	राज्यांश	कुल
1	5973.00	1970.33	7943.33

विभाग को परामर्श दिया जाता है कि :–

1. उक्त राशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जावें।
2. राशि के भुगतान की सूचना भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से भी Seamlessly Auto Mode में साझा की जाएं।
3. उक्त राशि का व्यय योजना में केंद्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृत बजट सीमांतर्गत किया जाए।
4. विभाग उक्त राशि में CSS/CS DBT Schemes का Mission Code/DBT SCheme Code मैपिंग State PFMS Unit आवश्यक रूप से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
5. विभाग संबंधित मंत्रालय से योजना में आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रयास करें।
6. विभाग को भविष्य में परिपत्र दिनांक 26.07.2022 में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव प्रेषित करने की सलाह दी जाती है।
7. राशि रु 25.00 करोड़ से अधिक की राशि एक बार में हस्तांतरित नहीं की जाए बैंक में राशि एकबारगी में हस्तांतरित नहीं की जाकर आवश्यकता व दायित्वों को ध्यान में रखकर की जाए।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 102206559 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय–5)/मार्गोपाय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

D:\accts data 2022-23\Letters 2022-23.docx135